न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 16/2020

सुरेश पुत्र ग्यासीराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम चैटोली तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर।

........रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नायव तहसीलदार भुसावर दिनांक 25.02.2019 व मुकदमा सरकार बनाम सुरेश मि0न0 42/19

उपस्थित :– 1. श्री महाराज सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 21.09.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार भुसावर दिनांक 25.02.2019 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम सलैमपुर खुर्द की आराजी खसरा नम्बर 2092 रकवा 0.71 है0 किस्म गैरमुमकिन पोखर में से 0.16 है0 पर अतिक्रमण मानते हुये बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं तथ्य

विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि तथाकथित वर्णित आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है और न ही कोई फसल बोई अथवा काटी गई है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट यह तमाम बाते मिथ्या एवं बनावटी लिखी है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपीलान्ट ने अपनी आराजी में फसल बोई है। अपीलान्ट की एवं गैरमुमकिन पोखर की कोई पैमाईश नहीं कराई गई है यदि विवादित आराजी गैरमुमकिन पोखर निकलती है तो अपीलान्ट छोडने को तैयार है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। बेदखली की कार्यवाही कार्यालय में बैठकर की गई है। मोके पर कोई नीलामी नहीं की गई है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 07.07.2020 को नकल प्राप्त करने पर हुई। नकल प्राप्ति दिनांक से अपील अन्दर म्याद हैं। अपीलान्ट ने देरी को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत नायव तहसीलार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार अपील अपीलान्ट खारिज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का सलैमपुर खुर्द एवं भू अभिलेख निरीक्षक सलैमपुर खुर्द द्वारा अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 2092 रकवा 0.71 है0 में से 0.16 है0 किस्म गैरमुमकिन पोखर पर काश्त कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 25.02.2019 का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 2092/0.71 में से 0.16 है0 पर किये गये अतिक्रमण को पूर्ण रूपेन खाली कर देना और अब कोई अतिक्रमण नहीं होना बताया है। उक्त शपथ पत्र में अपीलान्ट द्वारा विवादित सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने की स्वीकारोक्ति है, जिससे पटवार हल्का सलैमपुर खुर्द की रिपोर्ट का सही होना स्पष्ट है। अतः अतिक्रमण की पुष्टि होने पर यह अपील काविल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली नायव तहसीलदार भुसावर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)